जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग मित्र बैठक

दिनांक 06.05.2023

दिनांक 06.05.2023 को जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 के प्रख्यापन से पूर्व हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने हेतु उद्यमियों के साथ बैठक का एजेण्डा

बिन्दु संख्या–01– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 का उदेश्य–

i. उत्तराखण्ड में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, विशेषकर स्टार्टप्स, स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उत्पाद, नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा तथा प्रदूषण मुक्त उद्योगों के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रतिस्थापित करना, जो सुरक्षित, स्थायी और समावेशी हो और जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के विनिर्माण के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हों।

ii. नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना साथ–साथ राज्य में पूँजी निवेश बढ़ाना ताकि अन्य प्रदेशों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जा सके।

iii. नई तथा विद्यमान इकाइयों में अधिकाधिक रोजगार सृजन।

iv. राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का अधिकतम लाभ उद्यमियो को देना।

बिन्दु संख्या–02– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए क्षेत्रों का वर्गीकरणः

वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए क्षेत्रों का वर्गीकरण

श्रेणी	सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी–ए	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	**जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग।** जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग। जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।
श्रेणी–सी	जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग। जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

बिन्दु संख्या–03– वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित विनिर्माणक क्षेत्र की गतिविधियां/क्रियाकलाप–

विनिर्माणक क्षेत्र के अनुमन्य क्रियाकलाप/गतिविधियांः–

i. निषेध सूची में दिये गये उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के अन्य सभी विनिर्माणक उद्यम।

ii. गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन।

बिन्दु संख्या–04– निषेध सूची

i. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।

ii. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।

iii. उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16.02.2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद, 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, पॉलिथीन तथा प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग।

iv. ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स।

v. आरा मिल।

vi. पटाखों का विनिर्माण।

vii. खनन तथा स्टोन क्रशर की इकाईयां (सोप स्टोन प्रसंस्करण एवं इसके उप–उत्पाद को छोड़कर)।

viii. थर्मल पॉवर प्लाण्ट।

ix. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी की सूची में सम्मिलित समस्त उत्पाद।

x. पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।

xi. भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।

बिन्दु संख्या–05– वित्तीय प्रोत्साहन

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 तथा उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 में तुलनात्मक विवरण

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th colspan="3">वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान सहायतायें</th><th rowspan="2">बैठक में आने वाले सुझाव</th></tr>
<tr><th colspan="2">उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015</th><th>उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023</th></tr>
<tr><td>1</td><td>राज्य पूँजी उपादान</td><td>उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किए गए अचल पूंजी निवेश पर 35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 35 लाख) की निवेश प्रोत्साहन सहायता देय है।
नोट– पूँजी निवेश उपादान की धनराशि एकमुश्त इकाई के ऋण खाते में समायोजित की जाती थी।</td><td>राज्य पूँजी उपादान</td><td>
<table>
<tr><th>इकाई प्रकार</th><th>सूक्ष्म</th><th>लघु</th><th>मध्यम</th><th>वृहद</th></tr>
<tr><td>क्षेत्र</td><td>संयंत्र व मशीनरी में रू. 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम</td><td>संयंत्र व मशीनरी में रू. 01 करोड़ से अधिक, रू. 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम</td><td>संयंत्र व मशीनरी में रू. 05 करोड़ से अधिक, रू. 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम</td><td>संयंत्र व मशीनरी में रू. 10 करोड़ से अधिक, रू. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम</td></tr>
<tr><td>श्रेणी–बी</td><td>स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)</td><td>रू. 40 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.20 करोड़)</td><td>रू. 1.20 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 16 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़)</td><td>रू. 02 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 03 करोड़)</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

				नोट– कुल स्वीकृत/अनुमन्य पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण इकाई को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 07 वर्षों में 07 समान किश्तों में किया जायेगा। **अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता–** राज्य में स्थापित होने वाले निम्नलिखित श्रेणी के उद्यमों को 05 प्रतिशत (सूक्ष्म इकाई को अधिकतम रू. 05 लाख, लघु इकाई को अधिकतम रू. 10 लाख तथा मध्यम इकाई को अधिकतम रू. 15 लाख) की अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता प्रदान की जाएगी– 1. औषधीय, हर्बल एवं सगन्ध पौध, नेचुरल फाइबर तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग। 2. पिरूल से ब्रिकेट्स/पेलेट्स विनिर्माण। 3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। 4. सम्बन्धित जनपद में ''एक जनपद दो उत्पाद'' योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पादों के विनिर्माणक उद्यम। 5. राज्य के जी आई टैग प्राप्त उत्पाद। 6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित विनिर्माणक उद्यम। (उद्यम की अधिकारिता में इस श्रेणी के उद्यमियों की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत अनिवार्य होगी।	

क्र. सं.	उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015		उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023		बैठक में आने वाले सुझाव
2	**ब्याज उपादान**	चिन्हित उद्यम स्थापना हेतु बैंकों से प्राप्त टर्म लोन के सापेक्ष 8 प्रतिशत (अधिकतम रू. 6.00 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) ब्याज उपादान देय है।	**संस्थागत वित्तीयन हेतु प्रोत्साहन सहायता**	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए **क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज** (CGTMSE) योजनान्तर्गत बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण पर बैंक द्वारा ली जाने वाली **वार्षिक गारन्टी फीस (AGF) की 03 वर्ष तक प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।**	
3	**स्टाम्प शुल्क में छूट**	उद्यम स्थापना हेतु भूमि क्रय करने अथवा लीज पर लिए जाने हेतु लागू स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट देय है।	**स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति**	ए व बी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की **शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी।**	

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति</td>
<td>जनपद में स्थापित कम विद्युत खर्च वाले चिन्हित उद्यमों हेतु विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति निम्नवत देय है :–
<table>
<tr><th>संयोजित विद्युत भार</th><th>श्रेणी – 'बी' एवं बी+</th></tr>
<tr><th></th><th>प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा</th></tr>
<tr><td>100 केवीए</td><td>प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>100 केवीए से ऊपर</td><td>50 प्रतिशत</td></tr>
</table>
</td>
<td>विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति</td>
<td>योजनान्तर्गत विद्युत विलों मे प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

5	विशेष राज्य परिवहन उपादान	श्रेणी	उपादान की मात्रा/सीमा	विशेष राज्य परिवहन उपादान	योजनान्तर्गत **विशेष राज्य परिवहन उपादान** का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।	
		श्रेणी–बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन पर माल भाडे में वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।			
		श्रेणी–बी+	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5.00 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।			

6	माल एवं सेवा कर (जी0 एस0टी0) प्रतिपूर्ति	5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी. एस.टी कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी.) को विक्रय पर भुगतान किया गया हो, का 05 वर्ष तक शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात् शेष समय तक 75 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति देय है।	माल एवं सेवा कर (जी0एस0 टी0) प्रतिपूर्ति	योजनान्तर्गत **माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) प्रतिपूर्ति** का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।	
7	गुणवत्ता प्रमाणी करण (**ISO**) सहायता की प्रतिपूर्ति	गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रतिपूर्ति सहातया देय है।	गुणवत्ता प्रमाणीकरण सहायता की प्रतिपूर्ति	योजनान्तर्गत **गुणवत्ता प्रमाणीकरण (ISO) सहायता** का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।	

बिन्दु संख्या–06 –अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।